कार्यालय-कलेक्टर एवं अध्यक्ष, उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़) पिन-494334

//आदेश//

क्रमांक/....869..../उत्कृष्ट शाला/स्था./भर्ती/2021-22 कांकेर, दिनांक ..23../10/2021

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक/स्वा.आ.अं.मा/2021-22/161 रायपुर, दिनांक 10.05.2021 के तहत नवीन संचालित उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय **स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चारामा, विकासखण्ड-चारामा,** जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) में नवीन पद संरचना (संविदा) के अंतर्गत पद की स्वीकृति प्राप्त होने के फलस्वरुप कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक/4509 एवं 4511/संविदा भर्ती/उत्कृष्ट विद्यालय/2021-22 कांकेर, दिनांक 12.07.2021 द्वारा आवेदन आमंत्रित किये गये थे। जिला प्रबंधन एवं संचालन समिति द्वारा नियमानुसार चयनित कर निम्नांकित आवेदक कों छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन आगामी 01 वर्ष के लिए पदानुरूप निर्धारित प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय पर अस्थायी रुप से निम्नांकित शर्तो के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

क्र.	पदनाम	माध्यम	विषय	पद वर्ग	मानदेय (रूपये)	नाम	पिता का नाम	वर्ग	पत्र व्यवहार का पता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	चौकीदार	-	-	अना	**15600**	हरीश कुमार	श्री रमेश कुमार	**OBC**	डबरीपारा चारामा जिला - कांकेर

टीप- कार्यभार ग्रहण करने की अंतिम तिथि.........30/10/2021........है।

शर्तें :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। आगामी वर्षो में होने वाली नियुक्ति से इस नियुक्ति का कोई संबंध नही होगा।
2. संविदा सेवा अवधि में मासिक मानदेय एक मुश्त देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
3. नियुक्तकर्मी को कलेण्डर वर्ष में संविदा भर्ती नियमों के अधीन अवकाशों की पात्रता होगी।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति संविदा नियुक्ति नियम 2012 से शासित होंगे।
5. नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा समाप्ति पश्चात् जितनी अवधि तक सेवा दी गई है उक्त अवधि में किसी प्रकार की पेंशन,भुगतान या मृत्यु उपरांत लाभ एवं अनुकम्पा नियुक्ति आदि की पात्रता नही होगी ।
7. शाला प्रबंधन एवं संचालन समिति द्वारा विशेष परिस्थितियां होने पर लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
8. चयनित आवेदक का कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर अथवा उस पद की आवश्यकता न होने पर सेवाएं किसी भी समय समाप्त की जा सकेंगी।
9. कार्यभार ग्रहण के पश्चात् चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र/फिटनेस सर्टिफिकेट 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

टीप :- **कोविड-19 के अधीन सुरक्षा उपायों के अमल का दायित्व सभी का होगा। असावधानी एवं असुरक्षा वर्जनीय है।**

(चंदन कुमार I.A.S.)
कलेक्टर एवं अध्यक्ष,
उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति,
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर

पृ.क्रमांक/...869A.../उत्कृष्ट शाला/स्था./भर्ती/2021-22 कांकेर, दिनांक ..23../10/2021

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-सी, अटल नगर रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला उ.ब. कांकेर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला उ.ब. कांकेर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, बस्तर संभाग, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला शिक्षा अधिकारी एवं सचिव, उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति, जिला-उ.ब. कांकेर को सूचनार्थ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला उ.ब. कांकेर को सूचनार्थ प्रेषित।
7. जिला रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार कार्यालय, जिला उ.ब. कांकेर को सूचनार्थ।
8. नोडल अधिकारी (भर्ती सेल) उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति, जिला-उ.ब. कांकेर को सूचनार्थ।
9. प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चारामा, विकासखण्ड-चारामा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. संबंधित श्री/सुश्री/श्रीमती ....
पिता/पति श्री .... पता ....
को प्रेषित कर सूचनार्थ एवं पालनार्थ, आप निर्धारित समय सीमा में अपनी उपस्थिति समस्त मूल प्रमाण पत्रों, पहचान पत्र, एवं अंकसूचियों सहित स्वयं के नाम से 50/- रु. के स्टॉम्प में शपथ पत्र के साथ **कार्यालय, प्राचार्य, शास.नरहरदेव उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम उ.मा.वि.कांकेर** में देवें। निर्धारित समय-सीमा में उपस्थिति नहीं दिये जाने की स्थिति में नियुक्ति स्वयमेव निरस्त मानी जावेगी।

कलेक्टर एवं अध्यक्ष,
उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति,
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर